कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
नई दिल्ली

कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम

1. प्रस्तावना

महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार पर सरकार की सतत पहली के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के अवसरों में वद्धि हुई है और अधिक से अधिक महिलाएं आज घर के अंदर या बाहर लाभदायक रोज़गार में संलग्न हैं। बढ़ते औद्योगीकरण और शहरी विकास ने शहरों की तरफ प्रवास में वृद्धि की है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों और संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, इन महिलाओं के बच्चों, जो अपनी माताओं के काम पर जाने के समय संबंधियों और मित्रों से सहयोग पाते थे, को अब डे-केयर सेवाओं की जरूरत पड़ी है, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल और संरक्षण देते हों। अपनी दादियों और चाची-ताइयों की सुरक्षित और नर्म गोदों में बढ़ने वाले बच्चे अब एक असुरक्षित और उपेक्षित माहौल में रहने पर मजबूर हैं; इसलिए महिलाओं को उनकी अनुपस्थिति में अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान की जरूरत होती है। छोटे बच्चों को उनकी माताओं के काम पर रहने के दौरान गुणवत्ता, वैकल्पिक देखभाल और अन्य सेवाओं के मामले में सहयोग प्रदान करना आवश्यक हो गया है। छोटे बच्चों के लिए प्रभावी डे-केयर आवश्यक और एक लागत प्रभावी निवेश होता है क्योंकि यह माताओं और छोटे बच्चों दोनों को ही सहयोग देता है। उचित डे-केयर सेवाओं का अभाव अक्सर बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं को हतोत्साहित करता है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों में कामकाजी महिलाओं के लिए उन्नत गुणवत्ता के और सुलभ डे-केयर सेवाओं/शिशुगृहों की अत्यंत आवश्यकता है।

संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं अपने बच्चों के लिए डे-केयर सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं जिसके लिए उनके नियोक्ता विभिन्न कानूनों (फैक्टरी अधिनियम, 1948; खान अधिनियम, 1952; वृक्षारोपण अधिनियम, 1951; अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1980 और नरेगा, 2005 में डे-केयर के प्रावधान को अनिवार्य बनाया गया है) के तहत बाध्य हैं। दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के बच्चों की जरूरतों का अभी समाधान नहीं हो पाया है।

बच्चे के इष्टतम विकास के लिए जीवन के आरंभिक वर्षों के महत्व के संबंध में मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, बाल चिकित्सकों और समाज शास्त्रियों के बीच एक विश्वव्यापी आम सहमति है। आरंभिक बाल्यावस्था उल्लेखनीय मस्तिष्क विकास का समय है, जो बाद के शिक्षण की नींव है और इस चरण में किसी क्षति या क्षीणता की भरपाई नहीं हो सकती। ये वर्ष बेहद संवेदनशील और जबरदस्त क्षमता के होते हैं, जिनके दौरान बच्चे के कल्याण और विकास की नींव डालने के लिए पर्याप्त संरक्षण, देखभाल और प्रोत्साहन आवश्यक होते हैं। इस प्रकार आरंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा और विकास के माध्यम से शिशुगृहों में बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाना आवश्यक है। आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और विकास का आशय छोटे बच्चों को उनके चहुंमुखी विकास - शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के लिए अवसर और अनुभव प्रदान करना है।

पर्याप्त पोषण और उचित देखभाल की कमी के परिणाम अपरिवर्तनीय होते हैं। कमजोर पोषण से स्कूली नामांकन और तत्परता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल्पपोषित बच्चों के स्कूल में दाखिला लेने की संभावना कम होती है और नामांकन होने पर भी वे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाल्यावस्था में आवश्यक पोषक तत्वों की गंभीर या जीर्ण कमी उसके भाषागत, संचलन और सामाजिक-भावनात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसके अलावा, सुरक्षित पेयजल और उचित सफाई की व्यवस्था से शिशु और बाल मृत्यु दर में भारी कमी आएगी। बच्चों के बड़े होने पर नुकसानों की भरपाई करने की बजाय बचपन में उनके लिए निवारक उपाय और सहयोग करना काफी अधिक लागत प्रभावी है। राष्ट्रीय बाल नीति, 1974; राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986; राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 और राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 में बाल देखभाल सेवाओं की जरूरत पर जोर दिया गया है।

योजना आयोग के तत्वावधान में बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए महिला एजेंसी और बाल अधिकारों पर संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम (एनसीएस) अब तक बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण डे केयर सेवाएं प्रदान करने के अपने लक्ष्य से पीछे रही है। इसके अलावा, बच्चों के समान समूह की पूर्ति और विस्तृत सेवाएं प्रदान करने पर लक्षित आईसीडीएस के सार्वभौमीकरण के चलते, युवा कामकाजी महिलाओं की बढ़ती जरूरतों, प्रवासन और शहरीकरण के नमूनों, बदलते परिवार समर्थन ढांचे के संदर्भ में जनसांख्यिकीय लाभांश को प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए आरजीएनसीएस की रूपरेखा को एक नया आकार दिया जाना आवश्यक है। समिति ने सिफारिश की है कि अतएव आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी केंद्र-सह-शिशुगृह में उन्नयन करना और/या मानदंडों, विभिन्न लचीले मॉडलों, और आरजीएनसीएस की प्रक्रियाओं में संशोधन करना ऐसे विकल्प होंगे जिन्हें अगली योजना अवधि में जांचा और आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि बच्चों को उनकी प्रगति और विकास के लिए समुदाय आधारित सुरक्षित और पोषक स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में और राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव/प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर, मौजूदा कार्यक्रम घटकों को सशक्त बनाने और इस प्रकार परिकल्पित उद्देश्यों को हासिल करने में सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा स्कीम को संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीम का उद्देश्य देश में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है।

II. परिभाषा

शिशुगृह एक ऐसी सुविधा है जो माता-पिता को काम पर रहने के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने में सक्षम बनाती है और जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान किया जाता है। 6 साल तक के बच्चों, जिन्हें दिन के दौरान अपने घर से दूर देखभाल, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की जरूरत होती है को सामूहिक देखभाल प्रदान करने के लिए शिशुगृहों को तैयार किया गया है, ।

III. उद्देश्य

(i) समाज में कामकाजी माताओं के बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष) के लिए डे-केयर की सुविधा प्रदान करना।
(ii) बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
(iii) बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास (समग्र विकास) को बढ़ावा देना।
(iv) बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए माता-पिता/देखभाल करने वालों को शिक्षित और सशक्त बनाना

IV. सेवाएं

स्कीम में निम्नलिखित सेवाओं का एक समेकित पैकेज प्रदान किया जाएगा:

(i) सोने की सुविधा सहित डे-केयर सुविधाएं।
(ii) 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रेरण और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा।
(iii) पूरक पोषण **(स्थानीय स्तर पर प्राप्त)**
(iv) बढ़त की निगरानी।
(v) स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण।

V. लक्षित समूह

स्कीम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, महीने में 15 दिन या वर्ष में छह माह की न्यूनतम अवधि तक नियोजित, कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 साल तक के बच्चों पर केंद्रित है।

VI. कवरेज

स्कीम का कवरेज अखिल भारतीय है। गरीब बच्चों और विशेष पोषण जरूरतों वाले बच्चों को वरीयता दी जाएगी। जनवरी, 2015 तक, 23,293 शिशुगृह कार्यशील हैं। यह स्कीम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तौर पर जारी रहेगी।
संशोधित स्कीम के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में, एजेंसियां संशोधित स्कीम की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए शिशुगृह में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के प्रयास करेगी। इस अवधि में एजेंसियां गहन निरीक्षण और इन क्षेत्रों में गैर-कार्यशील और गैर-निष्पादक शिशुगृहों की छंटनी भी करेंगी।

VII. लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं की संख्या

आदर्श रूप से शिशुगृह में बच्चों की संख्या 25 से अधिक न हो। इनमें से, कम से कम 40 प्रतिशत बच्चे, वरीयत:, 3 वर्ष से कम आयु के हों।

यह जरूरी है कि डे-केयर सुविधाएं प्रदान करने और शिशुगृह के कामकाज की निगरानी के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कार्यकर्ता और सहायक उपलब्ध हों। क्रेच कार्यकर्ता के अलावा, बच्चों की देखभाल करने के लिए एक क्रेच सहायक हो।

तदनुसार, एक शिशुगृह में बच्चों की संख्या और कर्मचारियों की जरूरतें निम्नानुसार होंगी:-

क्र.सं.	बच्चों का आयु समूह	नामांकित किए जाने वाले बच्चों की संख्या	क्रेच कार्यकर्ता की संख्या	क्रेच सहायक की संख्या
1	6 माह से 3 वर्ष तक	10 (वरीयत:)	01	01
2	3 से 6 वर्ष तक	15		
	योग	25	01	01

क्रेच कार्यकर्ता की न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) और सहायक की कक्षा 10वीं (मैट्रिकुलेशन) होनी चाहिए। ऐसी योग्यताओं वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर, राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा छूट दी जा सकती है। हालांकि, किसी भी मामले में, योग्यता क्रमशः कक्षा X और VII से कम नहीं हो सकती। नियुक्ति के समय दोनों श्रेणियों के लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष होनी चाहिए।

देखभाल के मानकों को बनाए रखने के लिए, कार्यकर्ता और सहायक के पास नियुक्ति के समय न्यूनतम योग्यता और अपेक्षित प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि वे बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों और विकासात्मक क्षमताओं को समझने और उन्हें पूरा करने में सक्षम हो सकें। इस प्रकार, गैर-सरकारी संगठन को शिशुगृह में केवल ऐसे कर्मचारियों को नियोजित करना चाहिए जिन्हें पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षित प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित किया गया हो। प्रशिक्षण भी राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी संसाधनों से प्रदान किया जाएगा।

VIII. भौतिक अवसंरचना

स्थान/पर्यावरण

क्रेच ऐसे सुरक्षित और सुनिश्चित स्थान पर स्थित हो जो सुविधाजनक और बच्चे के अनुकूल हो। शिशुगृह का बच्चों के घरों या माताओं के कार्यस्थल के पास (पैदल दूरी यानी. ½ - 1 किमी पर) होना निम्न कारणों से उत्तम है:

- बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताएं उन्हें खिलाने के लिए आसानी से आ सकती हैं।
- आपात स्थिति के मामले में माता-पिता से संपर्क किया जा सकता है

- बच्चे को घर से लाना, ले जाना या भेजना आसान होता है
- किसी बच्चे के लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर क्रेच कार्यकर्ता बच्चे के बारे में पूछताछ करने के लिए स्वयं उसके घर जा सकती है।

क्रेच का माहौल यथासंभव बच्चे के घर के माहौल के समान होना चाहिए और समाज की जीवनशैली को भी दर्शाना चाहिए।

शिशुगृह भवन/स्थान विनिर्देशन

क्रेच इसके कार्यकर्ता/सहायक के घर से संचालित नहीं किया जाना चाहिए

क्रेच अधिमानतः भूतल पर होना चाहिए। भौतिक वातावरण विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए यथोचित उपयुक्त होना चाहिए। क्रेच में प्रति बच्चे 6-8 वर्ग फुट (कुल 150-200 वर्ग फुट) का न्यूनतम स्थान होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बिना किसी बाधा के खेल, आराम और सीख सकना और खासकर 3 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिले। यह ध्यान रखा जाए कि क्रेच में घर के अंदर और बाहर दोनों जगह (अधिमानत: समान आकार का) पर्याप्त स्थान हो। बीच में खाली स्थान का उपयोग बहुउद्देश्यीय तरीके से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, कुछ दरियां और मैट बिछाकर बच्चों के लिए खेलने की जगह को सोने की जगह में बदला जा सकता है। इससे बच्चों के विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित करने में सुविधा होगी। ग्रीष्मकाल में, बाहर का खाली स्थान साफ और सुरक्षित छायादार क्षेत्र होना चाहिए।
एक आदर्श केंद्र में, रसोई घर आच्छादित क्षेत्र का 25% होना चाहिए और शौचालय 5% होना चाहिए। केंद्र में बच्चों के आराम करने और सोने के लिए कम से कम 10 फीट ऊंची छत वाले कम से कम दो कमरे/एक बड़ा हॉल और खेलने का क्षेत्र होना चाहिए। केंद्र के हर कमरे में सचित्र सामग्री दर्शाने के पर्याप्त स्थान सहित कमरों में अच्छी तरह समतल दीवारें होनी चाहिए। फर्श से अधिकतम 3 फुट की ऊंचाई पर कम से कम दो खिड़कियां होनी चाहिए, जिनका क्षेत्रफल फर्श क्षेत्र के 1/5वां भाग हो। दरवाजों और खिड़कियों का संयुक्त क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 2/5 होना चाहिए। दरवाजे और गेट बच्चों और सामग्री/उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रूप से बनाए जाने चाहिए।
जबकि राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के माध्यम से क्रेच के लिए स्थान उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं होने पर किराए के भवन में क्रेच का संचालन किया जा सकता है।

प्रकाश और वायु संचार व्यवस्था

केंद्र में पर्याप्त वायु संचार सहित सफाई और अच्छी रोशनी होनी चाहिए। बिजली की आपूर्ति उपलब्ध होने पर क्रेच में एक पंखा भी होना चाहिए। बिजली की अनियमित आपूर्ति होने/नहीं होने पर, संगठन द्वारा इन्वर्टर लगाने की व्यवस्था की जा सकती है।

IX. अन्य सुविधाएं

पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं

केंद्र में सुरक्षित और नियमित पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए, केंद्र में एक पानी फिल्टर /प्यूरिफायर लगाया जाना चाहिए जिसे नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। जिन स्थानों पर पानी की कमी है, वहां पानी के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कम से कम 300 लीटर क्षमता का एक टैंक लगाया जा सकता है।

केंद्र में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल सुलभ शौचालय उपलब्ध होने चाहिए। केंद्र में स्वच्छ, भारतीय टाइप के बाल सुलभ शौचालय में पानी, साबुन, साफ कपड़ा/तौलिया, कचरा बिन, निचले स्तर पर वॉश बेसिन/सिंक की सुविधा और एक एक्जॉस्ट पंखा होना

चाहिए। पानी का नल ऊंचाई पर रखा जाए जिसे बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सके। क्रेच में फिनाइल, कीटाणुनाशक, झाड़ू, कूड़ेदान, कचरा डिब्बे आदि जैसी सफाई सामग्री की नियमित आपूर्ति होनी चाहिए। क्रेच में सेवाओं को बेहतर बनाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

भोजन और पकाने की सुविधाएं

बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में पर्याप्त पोषक मानक होने चाहिए। चूंकि बच्चा क्रेच में 7-1/2 घंटे तक रहता है, तीन बार भोजन यानी सुबह का स्नैक्स/नाश्ता, दोपहर का भोजन (गर्म पकाया हुआ) और दोपहर का नाश्ता दिया जा सकता है। जरूरत होने पर छोटे बच्चों को दूध दिया जा सकता है। बच्चों को हर रोज दिए जाने वाले भोजन में विविधता होनी चाहिए। भोजन शिशुओं और बच्चों दोनों को स्वीकार्य होना चाहिए। इसके लिए, कार्यकर्ता को यह जानना चाहिए कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त पौष्टिक भोजन क्या है, और उन्हें उचित देखभाल और सफाई सहित खाना पकाना चाहिए।

केंद्र में बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना पकाने की सुविधाएं, खाना पकाने के बर्तन, बच्चों को खिलाने के बर्तन होने चाहिए - जिन्हें उपयोग करने के पहले और बाद में नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। खाना पकाने का स्थान बच्चों की जगह से दूर होना चाहिए जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। खाना पकाने के बुनियादी उपकरण जैसे स्टोव, गैस सिलेंडर या पारंपरिक चूल्हा; खिलाने के बर्तन, स्टोरेज के डिब्बे और बक्से उपलब्ध और सुरक्षित रूप से रखे होने चाहिए।

प्रगति की निगरानी

नए डब्ल्यूएचओ बाल विकास मानकों को अपनाते हुए बच्चों की पोषण स्थिति के आकलन को एक महत्वपूर्ण उपकरण की मान्यता दी गई है। कार्यकर्ता द्वारा बच्चों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी और नए डब्ल्यूएचओ बाल विकास मानकों के अनुसार लड़कों और लड़कियों के लिए अलग प्रगति चार्टों में दर्ज की जानी चाहिए। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों का मासिक आधार पर और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का तिमाही में एक बार वजन लिया जा सकता है। इसके लिए, राज्य सरकार/ गैर सरकारी संगठन निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र के साथ सहयोग कर सकते हैं।

स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सा किट

क्रेच में पंजीकृत सभी बच्चों का सरकारी अस्पतालों के पंजीकृत चिकित्सक/चिकित्सकों द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। केंद्र में बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी, खांसी और सर्दी, दस्त, कान-दर्द, आंखों में संक्रमण, पेट में दर्द, कृमि संक्रमण आदि जैसी आम बीमारियों के लिए हर समय बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा किट और मामूली चोटों के लिए बैंड-एड्स/पट्टियां, कॉटन वूल, और कीटाणुनाशक होने चाहिए। दवाई की किट में ओआरएस पैकेट, कैंची, थर्मामीटर और एंटीसेप्टिक मरहम भी होने चाहिए।
क्रेच में समीप के आंगनवाड़ी केंद्र/सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और इसके कार्यकर्ताओं के साथ अन्य स्वास्थ्य देखभाल आदानों जैसे टीकाकरण, पोलियो ड्रॉप्स आदि के लिए भी अनुबंध होना चाहिए। गंभीर बीमारी की स्थिति में, बच्चों को निजी अस्पताल ले जाया जा सकता है।

उपकरण और खेल सामग्री

केंद्र के भीतर, बच्चों के लिए सोने की सुविधा होनी चाहिए। प्री-स्कूल के बच्चों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक खेल सामग्री और शिक्षण/सीखने की सामग्री जिसे बच्चों द्वारा सीधे जोड़तोड़ किया जा सकता है, उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आयु के अनुकूल और एक सुलभ और उत्तेजक वातावरण बनाने

में सहायक उपकरण, फर्नीचर और खिलौने उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सुविधाओं में निम्न को शामिल किया जाएगा–

सुविधा का प्रकार	**सामग्री/उपकरण**
सोना और आराम करना*	बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए दरियां, बेडशीटें, पालने/तख्त, तकिये, मैट्स और मॉस्किटो नेट्स और मूलभूत फर्नीचर
खेल/प्री-स्कूल गतिविधियां	आउट-डोर उपकरण और सामग्री जैसे झूले, स्लाइड्स, संतुलन गतिविधियों के लिए सामग्री सी सॉ, सैंडपिट आदि। खेल गतिविधियों के लिए खेल और खिलौने सहित प्री-स्कूल शिक्षा (पीएसई) किट - गुड़िया, गेंद, अंगूठी, चित्र पुस्तकें, कठपुतलियाँ और पेंटिंग और रंग भरने की सामग्री
खाना पकाना और खिलाना	गैस स्टोव, प्रेसर कुकर, फ्राइंग पैन्स जैसे खाना पकाने के बर्तन, प्लेटें, कटोरियां, चम्मच, गिलास जैसे खिलाने के बर्तन
ऑडियो-विजुअल	माइक्रो-प्रोसेसर आधारित उपकरण जिन्हें इंटरैक्टिव शिक्षण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है
भंडारण	खाद्य सामग्री और प्री-स्कूल सामग्री के भंडारण के लिए प्लास्टिक/ अल्युमीनियम के ड्रम/बिन्स/बॉक्सेज।

* स्वच्छता बनाए रखने के लिए पालने और तख्त धुलने योग्य सामग्री से बने होने चाहिए।

X. सामुदायिक सहभागिता

स्थानीय महिला मंडलों, एसएचजी, स्थानीय निकायों के सदस्यों आदि को क्रेच की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वे क्रेच कार्यकर्ताओं और सहायकों तथा लाभार्थियों के चयन में भी शामिल हो सकते हैं।

XI. क्रेच के समय

क्रेच के समय लचीले होने चाहिए। क्रेच महीने में 26 दिन और क्षेत्र की अधिकतर माताओं के कार्य समय, सुबह 7.00 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक, सुबह 8.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक, या सुबह 9.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक, के अनुसार प्रति दिन साढ़े सात (7-1/2) घंटे तक खुले रहेंगे। आवश्यक होने पर, उन माताओं के लिए व्यवस्था की जा सकती है जिन्हें उचित दरों पर अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त भुगतान सहित और पारस्परिक रूप से सहमत आधार पर लंबे समय तक काम करना हो।

XII. उपयोगकर्ता के लिए शुल्क

समुदायिक स्वामित्व का तत्व शामिल करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क आवश्यक है और इसका संग्र निम्नानुसार किया जा सकता है:

- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार (बीपीएल परिवार) - रु. 20 प्रति बच्चा/प्रति माह
- रु. 12,000 प्रति माह की तक की आय वाले परिवार (माता-पिता दोनों) - रु. 100 प्रति बच्चा/प्रति माह
- रु. 12,000 प्रति माह से अधिक की आय वाले परिवार (माता-पिता दोनों) - रु. 200 प्रति बच्चा/प्रति माह

उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह समुदाय की बेहतर भागीदारी और केन्द्र के संसाधन में वृद्धि सुनिश्चत करता है। संग्रहित उपयोगकर्ता शुल्क को राज्य की परिक्रामी निधि में रखा जाना चाहिए जिसे स्थानीय निकाय के परामर्श से बच्चों के कल्याण और शिशुगृहों की सुविधा के उन्नयन पर खर्च किया जा सकता है।

XIII. रिकार्ड और रजिस्टर/अभिलेख/रजिस्टर

क्रेच/शिशुगृह में बच्चे के पंजीकरण के बाद माता-पिता द्वारा विधिवत रूप से भरा गया नामांकन प्रपत्र कार्यकर्ता/ सहायक के पास उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ, कार्यकर्ता/सहायक को निम्नलिखित बुनियादी अभिलेख/ रिकार्ड, पंजिका/रजिस्टर का रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जो क्रेच/शिशुगृह केन्द्र के कामकाज के दौरान निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध होना चाहिए।

(i) पेशा और आय सहित बच्चों और उनके माता-पिता (दोनों) के प्रोफाइल की रिकार्डिंग के लिए नामांकन/उपस्थिति रजिस्टर
(ii) बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर
(iii) कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर
(iv) बच्चों का टीकाकरण सहित उनका स्वस्थ्य जांच रिकार्ड
(v) खाद्य एवं अखाद्य पदार्थों के लिए रजिस्टर
(vi) बच्चों को उपलब्ध भोजन की रिकार्डिंग के लिए पूरक पोषण रजिस्टर
(vii) मेडिकल रिकार्ड को डॉक्टर के साथ साझा किया जाएगा
(viii) माताओं से मिलने का रजिस्टर
(ix) आगंतुकों के लिए रजिस्टर
(x) उपयोगकर्ता शुल्क के लिए रजिस्टर

सभी अभिलेखों रजिस्टर्स में अति गंभीर रूप से अल्प वजनी बच्चों के लिए विशिष्ट प्रविष्टि होनी चाहिए

IX कर्मियों का प्रशिक्षण

(क) क्रेच/शिशुगृह न सिर्फ बच्चों को अभिरक्षा संबंधी देखरेख उपलब्ध कराता है बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान करता है। इस बात को पूरी तरह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि क्रेच/शिशुगृह चलाना अकुशल कार्य नहीं है और इसके लिए उचित और पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए क्रेच/शिशुगृह के कार्यशील किए जाने के पहले सभी कार्यकर्ताओं और सहायकों को बाल देखरेख के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता और सहायक किसी भी क्रेच/शिशुगृह को खोलने की पूर्व आवश्यकता है। प्रशिक्षण विशेष रूप से नियुक्ति के पिछले तीन साल के भीतर होना चाहिए। प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से भी दिया जाएगा। क्रेच/शिशुगृह के कार्यकर्ताओं और सहायकों का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) द्वारा भी संचालित किया जा सकता है।

(ख) क्रेच/शिशुगृह केन्द्र में बाल अनुकूल वतावरण बनाने और बेहतर डे- केयर सेवा उपलब्ध करने के लिए क्रेच/शिशुगृह के नियुक्त प्रत्येक कार्यकर्ता और सहायक को उन्मुख करने हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एनआईपीसीसीडी द्वारा एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल सामान्य स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव पर फोकस करता है और स्कूल पूर्व बच्चों के लिए नवाचारी शिक्षण विधि के प्रयोग और विकास पर विशेष तौर पर जोर देता है। कार्यकर्ताओं और सहायकों, दोनों के लिए दो साल में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है जिसका संचालन राज्य सरकार अपने संसाधन से करेगी।

(ग) प्रशिक्षण क्रेच कार्यकर्ताओं और सहायकों को निम्न कार्य करने में सक्षम करेगा

- तीन साल से कम उम्र के बच्चों के विशेष संदर्भ में बाल उत्तरजीविता, संवर्द्धन और विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बेहतर समझ का विकास करने और उन्हें बाल विकास के समेकित दृष्टिकोण के प्रति उन्मुख करने में ।
- प्राथमिक चिकित्सा सहित स्वास्थ्य देखरेख जैसे बाल देखरेख के क्षेत्र पर जोर देने में।

- बच्चों में व्यक्तिगत बुनियादी स्वच्छता की आदतों को मनोगत करने में ।
- टीकाकरण,स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए एडब्ल्यूडब्ल्यू/ आशा/एएनएम के साथ समन्वय करने में।
- बच्चों के संवर्द्धन की निगरानी करने के कौशल विकास करने में।
- बच्चों की पोषणात्मक आवश्यकता की बुनियादी समझ और खाना पकाने के स्वस्थ ,स्वादिष्ट और पोषक भोजन बनाने की विधि विकसित करने में।
- बच्चों की आवश्यकता और डे- केयर के महत्व के बारे में क्रेच कार्यकर्ताओं/सहायकों के बीच बुनियादी समझ विकसित करने में ।
- पर्याप्त शिक्षण/अधिगम सामग्री सहित बच्चों के सर्वांगीण विकास केा बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित करने का कौशल विकसित करने में।
- छोटे बच्चों और चलने- फिरने वाले छोटे बच्चों की मानसिक- सामाजिक देखरेख को संबोधित करने का कौशल विकसित करने में।
- क्रेच कार्यक्रम में माता-पिता और समुदायों की भागीदारी की आवश्यकता के बारे में सराहना करने और माता-पिता तथा समुदाय के साथ काम करने का कौशल विकसित करने में ।

(घ) प्रशिक्षण के बाद क्रेच/शिशुगृह के कार्यकर्ताओं /सहायकों से निमनिखित कार्य करने की अपेक्षा की जाती है:

- तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वप्रेरण गतिविधियों का आयोजन
- 3-6 साल के बच्चों के लिए सकूल पूर्व शिक्षण गतिविधियां आयोजित करना
- बच्चों के लिए कम लागत वाली शिक्षण, अधिगम सामग्री तैयार करना
- बच्चों का संवर्द्धन की निगरानी करना और तदनुसार माता-पिात को परामर्श देना
- बच्चों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना
- क्रेच/शिशुगृह सेंटर पर आने वालों बच्चों के लिए पोषक भोजन तैयार करना
- क्रेच और इसके आसपास साफ-सफाई रखना
- टीकाकरण के लिए माता-पिता को प्रेरित करना और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा/एएनएम के साथ समन्वय करना
- बच्चों को समुचित आराम और सोने की व्यवस्था करना
- माताओं की बैठक के माध्यम से समुदाय के बीच बेहतर बाल देखरेख के प्रति जागरूकता का सृजन करना
- रिकार्ड और रजिस्टर का रखरखाव करना
- डॉक्टरों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दौरों को सुनिश्चित करना

xv. स्कीम का कार्यान्वयन

एनसीएस केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में सभी घटकों के लिए सहायता पैटर्न का आधार केन्द्र, राज्य और क्रेच चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों के बीच लागत शेयरिंग 60:30:10 का होगा जबकि 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालीय राज्यों के लिए यह पैटर्न 80:10:10 का और संघ राज्य क्षेत्रों में यह 90:10 का होगा। राज्य सरकार क्रेच चलाने वाले संगठन से 10% योगदान सुनिश्चित करेगी और 10% शेयर का दस्तावेजी सबूत उपलब्ध कराएगी।

क. कार्यान्वयन एजेंसी

स्कीम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकारें इसके बदले में अगर आवश्यक हो तो स्कीम का कार्यान्वयन स्वैच्छिक/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से करा सकती हैं। राज्य सरकारें मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार क्रेच का संचालन करेगी।

ख. स्थल की पहचान

संबंधित राज्य द्वारा परियोजना कार्यान्वयन अभ्यास में उठाया जाने वाला पहला कदम होगा सीएसडब्ल्यूबी और आईसीसीडब्ल्यू जैसी कार्यानवयन एजेंसियों से 'जैसा है जहां है' के आधार पर क्रेच/शिशुगृह केन्द्रों को अपने कब्जे में लेना। इसके बाद, अगला कदम जिले स्तर पर क्रेच सेवाओं की आवश्यकता के लिए सर्वे के आधार पर जिले स्तर पर मौजूदा क्रेचों का उचित मानचित्रण करना ताकि राज्य में क्रेच की मांग का आंकलन किया जा सके। सवाधानीपूर्वक किया गया संदर्भ मानक (बेचमार्क) सर्वे राज्य में प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख के बारे में महत्वपूर्ण सूचना सृजन करने के साथ क्रेच के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद कर सकता है।

परियोजना निरूपण अभ्यास के भाग के रूप में राज्य सरकार को कर्मियों की आवश्यकता और उनका प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं, जागरूकता सृजन, स्कूल पूर्व शिक्षा की गतिविधियों और सरकारी विभाग के साथ सहलग्नता से संबंधित इनपुट सुनिश्चित करना होगा। क्रेच/शिशुगृह स्थल को स्थानीय निकाय के साथ परामर्श कर समीक्षा की जा सकती है।

XVI. सरकारी विभागों की सहलग्नता/समन्वय

राज्य सरकार को आवश्यक रूप से क्षेत्र के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) /सरकारी अस्पतालों या उप केन्द्रों के साथ सहलग्नता सुनिश्चित करना चाहिए। क्रेच/शिशुगृह को टीकाकरण, पोलियो ड्रॉप्स, बुनियादी स्वास्थ्य निगरानी जैसे स्वास्थ्य इनपुट के लिए निकट के आंगनवाड़ी केन्द्र और इसके कार्यकर्त्रियों के साथ संपर्क में रहना चाहिए। स्थानीय निकाय से सामुदायिक मदद की भी संकल्पना उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्कीम में की गई है।

XVII. क्रेच/शिशुगृह की निगरानी

स्कीम के प्रभावी परिचालन सुनिश्चित करने और स्कीम में की गई कल्पना के अनुसार लाभार्थियों को सेवा प्रदायगी के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित और सख्त निगरानी संचालित की जा सकती है। स्कीम के अंतर्गत चल रहे क्रेच/शिशुगृहों की निगरानी निम्न स्तरों पर की जा सकती है :

i. स्थानीय स्तर पर निगरानी
ii. जिले के स्तर पर डीएम के नेतृत्व वाली जिला निगरानी समिति द्वारा और समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत स्थापित जिला बाल संरक्षण इकाई इसमें उनकी मदद करेगी।
iii. स्वतंत्र निगरानी एजेंसी द्वारा निगरानी
iv. मोबाइल/ वेब आधारित निगरानी
v. केन्द्रीय निगरानी सेल

(क) स्थानीय स्तर पर निगरानी

समुदाय भागीदारी सुनिश्चित करने और सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए समुदाय समर्थन की भी संकल्पना स्कीम में की गई है। स्थानीय स्तर पर, नजदीकी पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एक स्थानीय क्रेच/शिशुगृह समिति का निरूपण किया जाएगा। स्थानीय क्रेच/शिशुगृह समिति का गठन राज्य सरकार अधिसूचना/आदेश के माध्यम से कर सकती है जिसमें ब्लॉक स्तर जैसे तहसीलदार/ब्लॉक विकास अधिकारी, मंत्रालय के समेकित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के अंतर्गत स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और क्षेत्र के समाज कल्याण अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। स्थानीय क्रेच /शिशुगृह समिति महीने में एक बार क्रेच/शिशुगृह का दौरा करेगी। समिति लाभार्थियों/माता-पिताओं की शिकायतें निवारण के लिए स्वीकार करेगी। समिति के सदस्यों के नाम और उनके संपर्क नंबर के साथ क्रेच/शिशुगृह सेंटर पर प्रदर्शित होने चाहिए।

(ख) जिला स्तर पर निगरानी

जिला स्तर पर निगरानी समिति का नेतृत्व डीएम (मंत्रालय के समेकित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस के अंतर्गत स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के सहयोग से) द्वारा की जानी चाहिए और इसमें जिले के सांसद तथा उस जिले के विधान सभा सदस्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। समिति हर छह माह पर क्रेच/शिशुगृह की निगरानी कर सकती है जिसे आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जा सकता है।

(ग) स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निगरानी

सार्थक और प्रभावी आंकलन के लिए क्रेच/शिशुगृह की निगरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चयनित स्वतंत्र संगठन द्वारा कराई जानी चाहिए जो कार्यान्वयन प्रक्रिया का हिस्सा न हो।

स्वंतत्र एजेंसी को प्रत्येक इकाई का निरीक्षण आवश्यक रूप से साल में एक बार कर रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करनी चाहिए। निगरानी के दौरान स्वतंत्र एजेंसी स्थानीय स्तर और जिले स्तर पर की गई निगरानी के रिकार्ड का निरीक्षण और सत्यापन करेगी। सामाजिक कार्य स्कूल (स्कूल ऑफ सोशल वर्क) गृह विज्ञान कॉलेज, महिला अध्ययन केन्द्र और अन्य प्रतिष्ठित एजेंसी को क्रेच/शिशुगृह की निगरानी के कार्य में लगाया जा सकता है। उन्हें नियमित तौर पर उनसे संबंधित क्षेत्र के संस्वीकृत इकाइयों की सूची पूरे पते और एनजीओ/ अन्य एजेंसियां के विवरण के साथ उपलब्ध कराई जा सकती है।

पहचानी गई प्रत्येक एजेंसी को एकमुश्त 10,000 रुपये का अनुदान और क्रेच / शिशुगृह के दौरे के लिए प्रति क्रेच 1,000 रुपये दिए जाएंगे।

निगरानी एजेंसियों के लिए एक समान फारमेट तैयार किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा कि प्रत्येक क्रेच/शिशुगृह सेंटर में बुनियादी आवश्यकता पूरी की जा रही है। निगरानी एजेंसियों को विशेष रूप से दिशानिर्देश में दिए गए सदंर्भ में सेंटर के सभी पहलुओं की समीक्षा आवश्यक रूप से करनी चाहिए।

(घ) मोबाइल/ वेब आधारित निगरानी

उपरोक्त निगरानी के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा वास्तविक समय में किसी क्रेच/शिशुगृह की गतिविधि की मोबाइल/वेब आधारित निगरानी का प्रावधान किया जा सकता है। राज्य सरकार 12 वीं पंचवर्षीय योजना की एक पायलेट परियोजना के आधार पर इसे कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना और बजट प्रस्तुत करेगी। इस उद्देश्य के लिए 05.00 करोड़ रुपये आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पायलेट से प्राप्त शिक्षा और अनुभव के आधार पर इसके कार्यान्वयन से पहले इसमें आवश्यक बदलाव किया जाएगा। परिणमस्वरूप अगली योजना के दौरान स्कीम के तहत आने वाले सभी क्रेच/शिशुगृह वेब आधारित वेब निगरानी में शामिल हो जाएंगे।

(ड.) केन्द्रीय निगरानी सेल

देश भर में क्रेच/शिशुगृह में बच्चों को स्कीम के प्रावधानों के अनुसार उचित देखभाल, भोजन और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की निगरानी के लिए मंत्रालय में एक केन्द्रीय निगरानी सेल होगा। एक परियोजना प्रबंधक होगा जिसका वेतन प्रति माह 40,000 रुपये और दो परियोजना अधिकारी होंगे जिनका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह होगा।

XVIII. योजनागत रूपरेखा

वर्तमान स्कीम छह माह से छह वर्ष के बच्चों के लिए क्रेच/शिशुगृह चलाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्न तालिका के अनुसार विभिन्न घटकों के अनुदान उपलब्ध कराती है :

क्र.सं	**मद**	**व्यय की सीमा (प्रति माह रुपये में)**	**प्रति वर्ष व्यय (रुपये में)**
1	**मानदेय**		
क	क्रेच के कार्यकर्ता	रु. 3,000 प्रति माह	रु. 36000
ख	क्रेच के सहायक	रु. 1500 प्रति माह	रु. 18000
ग	डॉक्टर	प्रति दौरा रु. 250	रु. 1000
2	**एक माह में 26 दिनों के लिए पूरक पोषण**		
	25 बच्चों के लिए प्रति दिन प्रति बच्चा 12.00 रुपये	रु. 7800 प्रति माह	रु. 93600
3	**अन्य मद**		
क	चिकित्सा किट	रु. 500 छमाही	रु. 1000
ख	पीएसई किट	रु. 2000 प्रति वर्ष	रु. 2000
ग	स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निगरानी(वर्ष में एक बार)	रु. 1000 प्रति क्रेच प्रति दौरा	रु. 1000
4	**कुल व्यय**		**152600**

अनुदान की हिस्सेदारी केन्द्र, राज्य और एनजीओं के बीच निम्न आधार पर होगा :

(i) केन्द्र, राज्य और क्रेच/शिशुगृह चलाने वाले एनजीओ के बीच 60:30:10

(ii) केन्द्र, पूर्वोत्तर एवं हिमालीय राज्यों और क्रेच/शिशुगृह चलाने वाले एनजीओ के बीच 80:10:10

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र और क्रेच/शिशुगृह चलाने वाले एनजीओ के बीच 90:10

गैर आवर्ती अनुदान

क्रेच/शिशुगृह में रहने वाले बच्चों को उनके उचित संवर्धन और विकास के लिए स्वच्छ और स्वस्थ बाल हितैषी वातावरण सुनिश्चित हो इसके लिए एजनीओ को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनने के लिए स्कीम में गैर-आवर्ती अनुदान का प्रावधान किया गया है।

क. गैर आवर्ती अनुदान (25 बच्चों के क्रेच/शिशुगृह **के लिए)**

क्र.सं.	**मद**	**व्यय की सीमा**	**व्यय**
1	पांच वर्षों के लिए गैर आवर्ती अनुदान	प्रत्येक क्रेच/शिशुगृह के शुरू होने पर एक बार रु.	**(i)** रु. 10,000 **(ii)** रु. 5,000

		10,000 और बदलाव /उपकरणों/फर्नीचर, वॉटर फिल्टर आदि की खरीद के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर 5000 रुपये	
2	निगरानी एजेंसियों के लिए एक बार का अनुदान	रु. 10,000 एक बार	रु. 10,000 (100% केन्द्रीय शेयर)
3	मोबाइल/ वेब आधारित निगरानी के लिए एक बार का अनुदान	रु. 5.00 करोड़ (पायलेट आधार पर कार्यान्वयन के लिए)	रु. 5.00 करोड़ (100% केन्द्रीय शेयर)

अनुदान की हिस्सेदारी केन्द्र, राज्य और एनजीओ के बीच निम्न आधार पर होगा :

(i) केन्द्र, राज्य और क्रेच/शिशुगृह चलाने वाले एनजीओ के बीच 60:30:10
(ii) केन्द्र, पूर्वोत्तर एवं हिमालीय राज्यों और क्रेच/शिशुगृह चलाने वाले एनजीओ के बीच 80:10:10
(iii) संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र और क्रेच/शिशुगृह चलाने वाले एनजीओ के बीच 90:10

XIX. क्रेच/शिशुगृह चलाने वाले एनजीओ की भूमिका और जिम्मेदारी

(क) अवसंरचनात्मक सुविधाएं

- क्रेच/शिशुगृह किसी क्रेच कार्यकर्ता या सहायक के घर में नहीं होना चाहिए
- क्रेच साफ –सुथरा और इसमें प्रकाश की अच्छी व्यवस्था और पर्याप्त हवादार होना चाहिए। स्कीम में तय विनिर्देश के अनुसार कम से कम दो कमरे होने चाहिए। क्रेच/शिशुगृह के बाहर खेलने के लिए सुरक्षित और पर्याप्त स्थान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कमरे में कम से कम एक पंखा और एक ट्यूबलाइट का प्रावधान हो। अगर क्षेत्र में बिजली कट ज्यादा लगती है तो एक इनवर्टर का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।
- फील्ड स्तर पर समुदाय की आवश्यकताओं का आंकलन के लिए सर्वे, क्रेच के लिए स्थान की और पात्र बच्चों की पहचान करना।
- क्रेच स्थल की पहचान/समीक्षा करने के लिए गांव/स्थानीय नेताओं और हितधारकों के साथ समन्वय करना।
- कुछ अनिवार्य क्रेच सेवाओं – सोने की जगह, बाल अनुकूल शौचालय, सुरक्षित पेयजल की सुविधा, पूरक पोषण (3 बार) स्वास्थ्य जांच आदि के प्रावधान में न्यूनतम मानकों का पालन करना।
- चारपाई, गद्दे, वॉकर, तौलिये बाल्टी, रसोईघर और अन्य जरूरत के बर्तनों जैसी उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता और इनकी पुन: आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- स्कीम के निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार क्रेच के कार्यकर्ताओं/सहायकों की नियुक्ति करना।
- क्रेच के सभी कार्यकर्ताओं/सहायकों को लघुकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना। राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए संस्थानों के अतिरिक्त आईसीडीएस के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण संस्थान (एडब्ल्यूटीसी) और मध्यम स्तर के प्रशिक्षण सेंटर (एमएलटीसीएस) का प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए नए क्रेच/शिशुगृह के लिए आवेदन के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

(ख) सेवा प्रदायगी

- तीन साल से कम उम्र के बच्चों को पंजीकृत करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पंजीकरण के दौरान सख्त निगरानी की जाने की आवश्यकता है ताकि वांछित लक्षित समूह न छूट पाए। स्वैच्छिक संगठनों को क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के बच्चों का पंजीकरण करने का प्रयास करना चाहिए।
- एक महीने में 26 दिन और प्रति दिन $7^1/2$ घंटे के समय का पालन। क्रेच/शिशुगृह खोलने का समय स्थानीय समुदायों की आवश्यकता के अनुसार तय किया जा सकता है।
- क्रेच/शिशुगृह चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों को बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में इनडोर और आउटडोर खेल सामग्री की व्यवस्था करना जरूरी है ताकि खेल- खेल में बच्चों को सीखने का सुगम वातावरण उपलब्ध हो सके।
- चूंकि स्कीम में पूरक पोषण (स्थानीय संसाधनों पर आधारित) प्रदान करने का प्रावधान है, रसाईघर और खाद्यानों के भंडारण के लिए स्टोर आवश्यक हैं। संगठन द्वारा अनाज भंडारण के लिए अलग से एक छोटे कमरे और ड्रम तथा इन्हें ढकने के लिए ढक्कन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित पूरक पोषण की आपूर्ति में एसएचजी/ महिला समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- हर समय प्राथमिक चिकित्सा और दवाओं के किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- बच्चों के संवर्द्धन की निगरानी, आहार और स्वास्थ्य से संबंधित सूचना जैसे पोषण के मुद्दों पर माताओं के संगठन की बैठक।
- कार्यक्रम का समर्थन के लिए लोगों की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करना। कार्यक्रम में समुदाय को बढ़ावा देने के लिए संगठनों का दृष्टिकोण शिक्षाप्रद होना चाहिए।
- क्रेच/शिशुगृह के बारे में, गांव/स्थान का नाम, क्रेच के कार्यकर्ताओं/सहायकों का नाम, एनजीओ का नाम एवं संगठन के प्रमुख का नाम एवं संपर्क नंबर, क्रेच का दौरा करने वाले डॉक्टर का नाम, स्थानीय समिति के सदस्यों के नाम एवं पूरक पोषण की सूची आदि की सूचना का प्रदर्शन क्रेच स्थल पर होनी चाहिए।
- कार्यक्रम का समर्थन करने में समुदाय को जोड़ने के लिए क्रेच सेवाओं के प्रति समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए समुदाय की बैठक, घरों का दौरा करना ताकि महिलाओं में अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ने के लिए आत्मविश्वास पैदा हो सके।

(ग) वित्तीय प्रबंधन

- भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से पूर्णत: या आंशिक रूप से उपार्जित संपत्ति के रिकॉर्ड का रखरखाव।
- उपयोग प्रमाण पत्र और अंकेक्षित लेखा के साथ व्यय विवरण (एसओई) की समय पर प्रस्तुति।
- बच्चों के कल्याण – जन्म दिन/उत्सव मनाने आदि, क्रेच/शिशुगृह भवन के रखरखाव पर खर्च करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह।
- संगठन द्वारा क्रेच के कार्यकर्ताओं/सहायकों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कार्य की सराहना के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करना ।

(घ) समन्वय और अभिसरण

- बच्चों का टीककरण और स्वास्थ्य जांच के लिए स्थानीय पीएचसी/ सरकारी अस्पताल के साथ सहलग्नता सुनिश्चित करना।
- आईसीडीएस, एसएस और एमएनआरईजीएस जैसे अन्य स्कीम और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना।
- क्रेच/शिशुगृह में बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर का दौरा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के क्रेचों का डॉक्टरों द्वारा दौरा करने में इच्छा न जताने की दशा में इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ड.) क्रेच का पर्यवेक्षण

राज्य सरकार क्रेच/शिशुगृह के कामकाज का समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी ताकि निर्धारित मानकों की सेवाएं बच्चों को उपलब्ध हो। इसे नियमित रूप से आवधिक दौरों(यौजनाबद्ध और औचक दोनों तरह के दौरों) के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

(ङ) मौजूदा क्रेच/शिशुगृह के लिए संशोधित मानदंडों की प्रयोजनीयता की पूर्व शर्तें

- प्रत्येक बच्चे के लिए न्यूनतम 6-8 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता का पालन। यह आवश्यक है कि क्रेच/शिशुगृह कार्यकर्ता/सहायक के घर से संचालित नहीं किया जाएगा।
- समुचित हवादार स्थान/कमरे, प्रकाश, शौचालय की सुविधा और स्वच्छता की शर्ते जैसा समुचित वातावरण।
- क्रेच/शिशुगृह के सभी कार्यकर्ताओं/सहायकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होगा। वैसे एनजीओ को निधि निर्मुक्त नहीं की जाएगी जिनके कार्यकर्ता/सहायक प्रशिक्षित नहीं होंगे।
- एनजीओ/ स्वैच्छिक संगठनों के लिए $7^1/2$ घंटे क्रेच/शिशुगृह चलाना अनिवार्य है।
- राज्य सरकार द्वारा क्रेच/शिशुगृह में बच्चों के रहने की आवश्यकता/इच्छा सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष मार्च के महीने में एक बेसलाइन सर्वे संचालित किया जाएगा।
- क्रेच/शिशुगृह में रहने वाले सभी बच्चों को पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों को उन्हें निधि निर्मुक्त किए जाने से पहले राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को उपरोक्त शर्तों को पूरा करने से संबंधित शपथपत्र देना होगा।

xx . योजना का मूल्यांकन

योजना का आकलन करने और सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से आशयित लाभार्थियों पर योजना के प्रभाव, लाभार्थियों को सेवाओं की प्रदायगी में संभावित परिवर्तनों, संशोधनों एवं सुधारों का आकलन करने तथा योजना के कार्यान्वयन में अंतरालों की पहचान करने और इसके लिए निदानों का सुझाव देने के लिए किसी स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा योजना का मूल्यांकन किया जाएगा। 12वीं योजना अवधि के दौरान योजना के मूल्यांकन के लिए 1.00 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध कराई गई है।

xxi. चूक के मामले में

(क) योजना के किसी प्रावधान के किसी उल्लंघन या किसी समय एनजीओ/क्रेच के अस्तित्व में न होने की स्थिति में यथा स्थिति सरकारी अनुदान से सृजित सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार/राज्य सरकार के पास वापस आ जाएंगी अथवा भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान के अनुसार रकम की वसूली की जाएगी।

(ख) इसके अलावा एनजीओ/वीओ द्वारा निधियों के किसी दुर्विनियोजन के मामले में राज्य सरकार चूककर्ता एनजीओ/वीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर आपराधिक कार्रवाई शुरू करेगी और अगला अनुदान जारी करने से पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले बांड में सहमति के अनुसार दांडिक ब्याज दर के साथ अनुदान की वसूली के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी।

(ग) किसी छोटी मोटी चूक (जैसे कि क्रेच में कम बच्चों में रखना और अधिक संख्या की सूचना देना, बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करना, अभिलेखों में गलत प्रविष्टि करना और एनजीओ/वीओ द्वारा ऐसे बच्चों को रखना जो योजना के तहत शामिल नहीं है) के मामले में मंत्रालय स्वयं या राज्य सरकार की सिफारिश पर दंड के रूप में स्वीकृत राशि में से 10 प्रतिशत तक की कटौती करने के लिए अधिकृत होगा। बड़ी चूक (जैसे कि किसी दूसरे प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग करना और नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना) के लिए पिछले पैरा में प्रस्तावित कार्रवाई के अलावा संगठन के नाम को मंत्रालय की वेबसाइट पर काली सूची में शामिल किए गए संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। मंत्रालय ऐसे किसी संगठन को अनुदान/सहयाता देने से मना भी करेगा जिसमें व्यक्ति, जो काली सूची में शामिल संगठन के प्रबंधन बोर्ड में है, प्रबंधन बोर्ड का ट्रस्टी/सदस्य है।

xxii. संक्रमणकारी प्रावधान

राज्य सरकार अच्छी तरह परिभाषित तंत्र एवं कसौटी के माध्यम से समयबद्ध ढंग से सभी मौजूदा क्रेच की व्यापक समीक्षा करेगी। राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कसौटी में निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु इतने तक ही सीमित नहीं होगा :

- क्रेच का लोकेशन तथा आवश्यकता का आकलन;
- भवन की हालत जहां यह स्थित है और क्रेच का आकार;
- मौजूदा बच्चों की संख्या तथा ऐसे बच्चों की संख्या जिन्हें भविष्य में क्रेच के अंदर रखा जा सकता है;
- कर्मचारियों की संख्या तथा किस ढंग से क्रेच का प्रबंधन किया जा रहा है;
- क्रेच के बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाएं;
- पिछले पांच वर्षों के दौरान या क्रेच शुरू होने के बाद से पंजीकृत बच्चों की पर्याप्त संख्या।

xxiii. अनुदान जारी करने की शर्तें

एनजीओ/संगठन संबंधित राज्य सरकार के यहां अपना पंजीकरण कराएंगे, जहां से वे क्रेच के संचालन के लिए सहायता अनुदान लेना चाहते हैं। योजना के तहत पहले से ही क्रेच का संचालन करने वाले एनजीओ/संगठन भी अगले सहायता अनुदान की मांग करने से पूर्व राज्य सरकार के यहां अपना पंजीकरण कराएंगे। एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण करते समय राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन के पास क्रेच में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं तथा उनके पास क्रेच के प्रमुख पदाधिकारियों तथा लाभार्थियों अर्थात बच्चों का आधार नंबर भी होना चाहिए। अनुदान के लिए आवेदन करने वाले एनजीओ एनजीओ साझेदारी प्रणाली (एनजीओ पीएस) के यहां पंजीकृत

होने चाहिए तथा इनके पास विशिष्ट आईडी होनी चाहिए। तदनुसार किसी अनुदान के लिए आवेदन करते समय एनजीओ/वीओ को :

(क) एनजीओ-पीएस पोर्टल से सृजित विशिष्ट आईडी उद्धृत करनी चाहिए;

(ख) अपने प्रत्येक पदाधिकारी/निदेशक मंडल/सदस्य की विशिष्ट आईडी, पैन, आधार नंबर, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जीएफआर के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ समेकित प्रस्ताव की प्राप्ति पर राज्य सरकार को तिमाही आधार पर अनुदान जारी किया जाएगा। योजना के तहत मासिक आधार पर प्रदान की जा रही सुविधाओं के संबंध में बच्चों की वास्तविक संख्या के आधार अनुदान जारी किए जाएंगे। यदि किसी खास माह में बच्चों की संख्या घटकर 10 से कम हो जाएगी तो कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां किसी खास माह में बच्चों की संख्या 25 से कम परंतु 9 से अधिक होगी तो यथा अनुपात आधार पर पूरक पोषण के लिए लागत प्रदान की जाएगी।

अनुदान जारी करने के लिए आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा लेखा विवरण, सरकारी लेखा परीक्षक/राज्य सरकार के सचिव या निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र संलग्न होगा। तथापि अंतिम किस्त (अर्थात चौथा भाग) तभी जारी की जाएगी जब पिछले वर्ष के लिए सरकारी लेखा परीक्षक/राज्य सरकार के सचिव या निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्राप्त हो जाएगा तथा नियमानुसार पाया जाएगा। उपयोग प्रमाण पत्र अनुलग्नक (ख) के रूप में जीएफआर में दिए गए प्रोफॉर्मा में प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार प्रत्येक एनजीओ/वीओ से इस आशय का वचन पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी कि क्रेच कार्यशील है और कार्यशील क्रेच के विवरण के साथ निर्धारित मानदंडों के अनुसार चल रहे हैं, जिसके लिए अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है (प्रोफॉर्मा अनुलग्नक (ग) में उपलब्ध है)। उक्त वचन पत्र/प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकार अनुदान जारी करने के लिए प्रस्ताव के साथ कार्यशील क्रेच की समेकित सूची प्रस्तुत करेगी।

xxiv. क्रेच खोलने/बंद करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

एनजीओ/वीओ राज्य सरकार के माध्यम से क्रेच के लिए आवेदन अग्रेषित करेंगे। राज्य सरकार विधिवत रूप से सिफारिश करने के बाद मंत्रालय को क्रेच खोलने के लिए आवेदन अग्रेषित करेगी। मंत्रालय के अनुमोदन के बगैर एक भी क्रेच खोला/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तथापि केवल बंद क्रेच के बदले में मंत्रालय के अनुमोदन से नए क्रेच खोले/स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जहां आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी केंद्र सह-क्रेच स्थित नहीं है या स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

अनुलग्नक (क) में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाना चाहिए। प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदन पत्र के पैरा 7 में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।

यदि राज्य सरकार ठीक ढंग से न काम करने के कारण या अन्यथा अपने किसी क्रेच को बंद करने का निर्णय लेती है तो इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाएगी।

****

अनुलग्नक (क)

कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह योजना
आवेदन पत्र

टिप्पणी (अधूरे आवेदन पत्र में प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा)

1. एनजीओ पीएस पोर्टल से सृजित विशिष्ट आईडी, पैन, आधार नंबर, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के विवरण के साथ संस्था/संगठन का नाम तथा स्वामी एवं प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के नाम

2. संस्था/संगठन के अखिल भारतीय स्वरूप, यदि कोई हो, तथा उसके उद्देश्यों एवं गतिविधियों के विवरण के साथ संस्था/संगठन का संक्षिप्त इतिहास :

3. क्या संस्था राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है :

4. क्या भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम 21) के तहत पंजीकृत है :

5. क्या संस्था/संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए काम करता है?

6. क्या संगठन कोई क्रेच चला रहा है/चला रहा था? यदि हां तो लाभार्थियों (अर्थात 6 माह-6 वर्ष की आयु के बच्चे) की संख्या तथा संगठन द्वारा संचालित क्रेच की संख्या

7. क्रेच का विवरण, लाभार्थियों (अर्थात 6 माह से 3 वर्ष और 3-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चे) की संख्या और क्रेच परियोजना के आरंभ होने की संभावित तिथियां, जिसके लिए अनुदान प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया है और महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करते हुए परियोजना का औचित्य जिसके कारण यह केंद्रीय सहायता के लिए हकदार है।

8. क्रेच के कर्मियों एवं हेल्परों के नाम, पत्राचार का पता और योग्यता

9. एक साल के लिए मांगे गए अनुदान की राशि तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत के संगठन के शेयर के लिए वित्त पोषण का स्रोत :

मद	**जीओआई शेयर**	**राज्य सरकार का शेयर**	**10 प्रतिशत संगठन का शेयर (अर्थात क्रेच का वस्तुत: संचालन करने वाला एनजीओ)**	**कुल**	**एनजीओ के लिए वित्त पोषण का स्रोत (10 प्रतिशत)**
अनावर्ती (मदवार)					
आवर्ती (मदवार)					
कुल					

10. क्या क्रेच के संचालन के लिए आवास उपलब्ध है अथवा अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है? (अपना/किराए का भवन)

11. संलग्न किए जाने वाले पेपर/विवरण की सूची (परिशिष्ट के अनुसार)

सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर

***

परिशिष्ट

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले पेपर/विवरण की सूची

1. पिछले वर्ष के लिए प्रमाणित तुलन पत्र की प्रति के साथ पिछले तीन साल के लिए लेखा परीक्षित लेखा :

2. केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य अर्द्ध सरकारी संस्था से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता का विवरण (वर्ष, प्रयोजन, धनराशि आदि) प्रदान करते

हुए विवरण तथा विचाराधीन परियोजना या किसी अन्य परियोजना के लिए इनमें से किसी संगठन या किसी अन्य संगठन से अनुदान के लिए किए गए अनुरोध का विवरण :

3. क्रेच के कर्मियों एवं हेल्परों की अर्हता

4. क्रेच के कर्मियों एवं हेल्परों के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र

***

अनुलग्नक (ख)

उपयोग प्रमाण पत्र

. . . . . .

क्र.सं.	**पत्र संख्या एवं तारीख**	**धनराशि**

प्रमाणित किया जाता है कि इस मंत्रालय/विभाग के हाशिये में दिए गए पत्र संख्या तथा पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष के कारण ---------- रुपये के अधीन ---------- के पक्ष में ---------- वर्ष के दौरान स्वीकृत ---------- रुपये के सहायता अनुदान में से ---------- रुपये की रकम का प्रयोग ---------- के प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था और यह कि वर्ष के अंत में ---------- रुपये के अप्रयुक्त शेष को सरकार को अभ्यर्पित कर दिया गया है (संख्या ---------- दिनांक ---------- के माध्यम से)/अगले वर्ष ------- के दौरान देय सहायता अनुदान में समायोजित किया जाएगा।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था उनका विधिवत रूप से पालन किया गया है/किया जा रहा है और यह कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच बिंदुओं का प्रयोग किया है कि धनराशि का उपयोग वस्तुत: उस प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था।

जांच बिंदुओं का प्रकार, जिनका प्रयोग किया गया

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर----------
पदनाम ----------
तारीख ----------

अनुलग्नक (ग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार ---------- तक की स्थिति के अनुसार ---------- (संख्या) क्रेच कार्यशील हैं और संचालित किए जा रहे हैं तथा आरजीएनसीएस के तहत ---------- (संख्या) बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। विवरण संलग्न है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ---------- से ---------- तक पिछली पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी तिमाही के दौरान जमीनी स्तर पर क्रेच के वस्तुत: संचालन के लिए संगठनों से ---------- रुपये प्राप्त किए गए हैं (10 प्रतिशत संगठन के शेयर के लिए)। इस रकम को बैंक में जमा किया गया है (खाता संख्या ----------)।

3. तिमाही के दौरान प्रयोक्ता प्रभारों के लिए प्राप्त राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से ---------- रुपये प्राप्त हुए और निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस का उपयोग किया गया है :

i.
ii.
iii.

हस्ताक्षर----------
पदनाम ----------
तारीख ----------

राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (एनसीएस) के तहत शिशु गृहों की सूची

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**अनुमोदित शिशु गृहों की संख्या**	**कार्यशील शिशु गृहों की संख्या**	**पंजीकृत बच्चों की संख्या**	**अभ्युक्तियां**
				6 माह – 3 वर्ष – 3 – 6 वर्ष	
				6 माह – 3 वर्ष – 3 – 6 वर्ष	
				6 माह – 3 वर्ष – 3 – 6 वर्ष	
				6 माह – 3 वर्ष – 3 – 6 वर्ष	
				6 माह – 3 वर्ष – 3 – 6 वर्ष	
				6 माह – 3 वर्ष – 3 – 6 वर्ष	
				6 माह – 3 वर्ष – 3 – 6 वर्ष	
				6 माह – 3 वर्ष – 3 – 6 वर्ष	